राजस्थान सरकार
कृषि निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमाकः प.5(2)एनएमओओपी / एन.एफ.एस.एम. / खरीफमिनि. / 17–18 / 1260–1498 दिनांक 27/4/2017

1– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
2– परियोजना निदेशक कृषि सी.ए.डी. कोटा ।
3– उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद समस्त।
4– उप निदेशक कृषि ई.गां.न.प. क्षेत्र बीकानेर ।

विषयः– खरीफ–17 में एन.एफ.एस.एम अन्तर्गत दलहन फसलों के मिनीकिट्स वितरण **के लक्ष्यों के आवंटन बाबत ।**

प्रसंगः– अतिरिक्त आयुक्त (कॉप) भारत सरकार, किसान कल्याण एवं कृषि मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 3–2/2017/एन.एफ.एस.एम दिनांक 07.04.2017 के कम में ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि खरीफ, 2017 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तह्त दलहन फसलों के मिनीकिट्स संलग्न Annexure–1 के अनुसार आपके जिले में आवंटित किये जा रहे हैं। अपने अधीनस्थ कार्यरत सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), सहायक कृषि अधिकारियों व कृषि पर्यवेक्षको के माध्यम से सम्पूर्ण जिले में मिनिकिट्स अविलम्ब वितरित करवाने की कार्यवाही करावें। मिनीकिट वितरण कार्य में निम्नलिखित तथ्यों का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावें।

1 भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार सही मॉनिटरिंग एवं नई किस्म के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए किसानों को बीज मिनीकिट का वितरण लगातार क्षेत्र में किया जाना है। यह लगातार क्षेत्र दलहन के लिए कम से कम 25 हैक्टेयर होना आवश्यक है।

2 मिनिकिट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों एवं अन्त्योदय परिवारों वाले एवं **गैर–खातेदार/खातेदार कृषकों** को प्राथमिकता से मिनिकिट की कीमत की 10 प्रतिशत टॉकन राशि वसूल करते हुए वितरण किये जाने हैं। वसूल की जाने वाली राशि 5 रू. के गुणनफल में हो लेकिन मिनिकिट की 10 प्रतिशत राशि से कम न हो, Annexure–2 के अनुसार टॉकन राशि वसूल की जानी है। मिनीकिट महिला के नाम से दिये जाने है, चाहे भूमि महिला के पति/पिता/ससुर के नाम से हो। एक महिला को मिनीकिट का एक ही पैकेट दिया जायेगा।

3 मिनिकिट वितरण हेतु पूर्व में निर्धारित रजिस्टर में कृषक का नाम आदि का इन्द्राज कर टॉकन राशि का भी इन्द्राज किया जाना है तथा कृषक के हस्ताक्षर करवाये जाने है।

4 खरीफ मिनिकिट्स की वसूल की गई टॉकन राशि कृषि पर्यवेक्षक द्वारा 15 सितम्बर तक सम्बन्धित सहायक निदेशक कृषि के कार्यालय में एवं सहायक निदेशक कृषि द्वारा 30 अक्टूबर तक राजकीय कोष में जमा कराना सुनिश्चित करेगें। इसी प्रकार रबी मिनिकिट्स की टॉकन राशि कृषि पर्यवेक्षक द्वारा 15 दिसम्बर तक सम्बन्धित सहायक निदेशक कृषि कार्यालय में एवं सहायक निदेशक कृषि कार्यालय द्वारा 30 जनवरी तक राजकीय कोष में जमा कराना सुनिश्चित करेगें।

5 मिनिकिट की 10 प्रतिशत राशि कृषि पर्यवेक्षक द्वारा कृषक से वसूल कर सम्बन्धित सहायक निदेशक कृषि के कार्यालय में जमा करवाने पर कृषि पर्यवेक्षक को GA–55 में रसीद दी जायेगी।

6 मिनिकिट की टॉकन मनी के रूप में प्राप्त राशि राजकीय कोष में निम्न मद में जमा करायी जायेगीः–
0401–फसल क्रम से आय
00–
800–अन्य आय
02–अन्य विविध प्राप्तियां
00–

7 खरीफ मिनीकिट्स हेतु जिन महिला कृषकों के पास सिंचाई का साधन हो उन्हे प्राथमिकता दी जावें एवं रबी मिनिकिट्स के लिए सिंचाई का साधन होना आवश्यक है। पात्र महिलाओं की सूची कृषि पर्यवेक्षक द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर बनायी जावे।

8 लाभान्वित महिला कृषकों की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय व सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), कार्यालय पर प्रदर्शित की जाये।

9 पूर्व की भॉति इस वर्ष भी मिनीकिट से बीज उत्पादन करने हेतु लाभान्वित कृषकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाना सुनिश्चित करावें। मिनीकिट लाभान्वित कृषकों को बीज उत्पादक कृषकों के रूप में प्रशिक्षित करने एवं स्वयं के उपयोग के लिए बीज उत्पादन करने हेतु पूर्व निर्देशानुसार प्रशिक्षण समय पर आयोजित करावें एवं यह भी सुनिश्चित करावें कि मिनिकिट लाभान्वित कृषकों द्वारा इस प्रशिक्षण का लाभ लेकर मिनीकिट बीज से उन्नत बीज उत्पादन किया गया है।

10 उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद पूर्व की भॉति समय समय पर प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रगति, प्रथम सूचना रिपोर्ट, उपज परिणाम एवं कृषकों की राय निर्धारित प्रपत्र में आयुक्तालय को प्रेषित करावें।

11 मिनीकिटस आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद कार्यालय में मिनिकिट आपूर्ति किये जायेगें। उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), से चर्चा कर सात दिवस में फसल विशेष के क्षेत्र के अनुपात में **ग्राम पंचायतवार** आवंटन कर सहायक कृषि अधिकारी/सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) वार मिनीकिट वितरण के लक्ष्य निर्धारित करेगें तथा एक प्रति आयुक्तालय को भिजवायेगें।

12 मिनिकिट्स वितरण कार्यक्रम में सांसद ग्राम योजना के अन्तर्गत गोद लिए गए गॉवों को प्राथमिकता दिया जाना सुनिश्चित करें।

13 मिनिकिट्स के आयोजन हेतु दिशा–निर्देशों की शतप्रतिशत पालना हो, इसकी सुनिश्चिता सम्बन्धित संयुक्त निदेशक खण्ड अपने स्तर से करेंगे। किसी भी बिन्दु की पालना यदि नहीं होती हैं तो खण्डीय संयुक्त निदेशक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

एन.एस.सी./नेफेड/आई.एफ.एफ.डी.सी./कृभको द्वारा दलहनी फसलों के मिनिकिट्स संलग्न **Annexure–1** के अनुसार 30 अप्रेल 2017 तक संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद/सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), कार्यालय में आपूर्ति सुनिश्चिता की जायेगी। मिनिकिट्स डिस्पैच करने से पूर्व मिनिकिट् आपूर्ती संस्था द्वारा प्रत्येक लॉट की अंकुरण परीक्षण रिर्पोट कृषि विभाग को उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रत्येक मिनिकिट में उपचारित बीज, कल्चर व उन्नत कृषि विधियों का साहित्य भी प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक, कृषि

AO(Oisleed)/minikit agenda-2011-12/minikit 2013-14 Kharif 2014-15 minikit NMOOP

क्रमाकः प.5(2) एनएमओओपी / एन.एफ.एस.एम. / खरीफमिनि. / 17–18 / 1260 – 1498 दिनांक 27.4.17
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 चैयरमैन–कम–मैनेंजिग डायरेक्टर,, एन.एस.सी–पूसा काम्पलेक्स,बीज भवन, नई दिल्ली –110012
2 प्रबंध निदेशक नैफेड, नैफेड हाऊस, सिद्धार्थ एनक्लेव, रिंग रोड़ आश्रम चौक, नई दिल्ली –110014
3 **चैयरमैन–कम–मैनेंजिग डायरेक्टर, एच.आई.एल, नई दिल्ली –110012**
4 अतिरिक्त आयुक्त (क्रॉप), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली को भेजकर अनुरोध है कि आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को आवंटन अनुसार संबंधित कार्यालयों में मिनिकिट्स आपूर्ति करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।
5 जिला कलक्टर, समस्त ––––––––––––––––।
6 अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार /आदान/ अनुसंधान), कृषि निदेशालय, जयपुर।
7 संयुक्त निदेशक कृषि (योजना /पौध संरक्षण / ज..उ.प्र. / गुण नियन्त्रण / रसायन / ए. टी.सी. / एम एण्ड ई /आदान), कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
8 संयुक्त निदेशक कृषि, खण्ड (समस्त)––––––––––––––––––।
9 जिला प्रभारी (समस्त)––––––––––––––––––।
10 उप महा प्रबन्धक (विपणन), राष्ट्रीय बीज निगम, बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली ।
11 क्षेत्रीय प्रबन्धक, राष्ट्रीय बीज निगम लि., चौमूं हाउस, जयपुर।
12 परियोजना प्रबंधक, आई.एफ.एफ.डी.सी., 2–थूर हाउस, महावीर कालोनी, सेक्टर–4 हिरन मगरी, उदयपुर।
13 शाखा प्रबंधक, नेफेड बॉयो फर्टीलाईजर, 51–ए, सेक्टर एफ सानवर रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश।
14 उप निदेशक कृषि (विस्तार / अभियांत्रिकी / रसायन / सूचना) मुख्यालय, जयपुर।
15 उप निदेशक कृषि (बीज) मुख्यालय, जयपुर।
16 उप निदेशक, कृषि (सांख्यिकी) निदेशालय, जयपुर को आंकडे कम्प्यूटर में फीड करवाने हेतु प्रेषित है
17 सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) समस्त..............................।
18 आरक्षी पत्रावली।

(एम.एल.सालोदिया)
अतिरिक्त निदेशक कृषि (एनएमओओपी)

AO(Oisleed)/minikit agenda-2011-12/minikit 2013-14 Kharif 2014-15 minikit NMOOP